

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] दिल्ली, शनिवार, मार्च 3, 2018/फाल्गुन 12, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 455
No. 51] DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3, 2018/PHALGUNA 12, 1939 [N.C.T.D. No. 455

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 मार्च, 2018

सं. 11 / 2018-राज्य कर

सं. फ. 03(96)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/115.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण में सं. फा. 03/(18)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/58, तारीख 31 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित, दिल्ली सरकार के वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना सं. 74/2017- राज्य कर, तारीख 31 जनवरी, 2018 को, उन बातों के सिवाय विखंडित करते हैं जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2018 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

**FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Delhi, the 1st March, 2018

No. 11/2018- State Tax

No. F. 3 (96)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/115.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby rescinds, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, the notification of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1) No. 74/2017 –State Tax dated the 31st January, 2018, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F. 3 (81)/Fin(Rev.-I)/2017-18/DS-VI/58, dated the 31st January, 2018.

2. This notification shall come into force with effect from the 2nd day of February, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy.- VI (Finance)

अधिसूचना

दिल्ली, 1 मार्च, 2018

सं. 5 /2018-राज्य कर (दर)

सं. फा. **03(97)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/116.**—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, कच्चे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण या खनन के लिए लाइसेंस या पट्टा देकर की जाने वाली सेवाओं की अंतःराज्यीय आपूर्ति पर राज्य कर से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक यह प्रॉफिट पेट्रोलियम में केन्द्र सरकार के हिस्से, इसकी ओर से केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अनुबंध में यथा निर्धारित, के रूप में केन्द्र सरकार को भुगतान किए जाने वाले प्रतिफल पर लगाया जाता है।

2. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 1st March, 2018

No. 05/2018– State Tax (Rate)

No. F. 3(97)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/116.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-State supply of services by way of grant of license or lease to explore or mine petroleum crude or natural gas or both, from so much of the state tax as is leviable on the consideration paid to the Central Government in the form of Central Government's share of profit petroleum as defined in the contract entered into by the Central Government in this behalf.

2. The notification shall come into force on the 25th January, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)